ACTION HISTORY OF RTI REQUEST No.VPSEC/R/P/24/00046

Applicant Name	Jamil Akhtar
Text of Application	RTI application
Reply of Application	disposed of as per the provisions of the RTI act, 2005

SN.	Action Taken	Date of Action	Action Taken By	Remarks
1	RTI REQUEST RECEIVED	19/07/2024	Sunita Xess - (SCPIO)	
2	REQUEST DISPOSED OF	19/07/2024	Rajesh Kumar Sharma- (CPIO)	

Print

SPEED POST

भारत के उप -राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली -110001 (भारत)
NEW DELHI – 110001 (INDIA
TEL.: 011-23094953

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/20/2024-2025 **18 जुलाई, 2024**

सेवा में,

श्री मो. जमील अखतर (धनबाद)
C/o मो. नौशाद जेनरल स्टोर,
ग्राम+पो.-महुदा, जिला-धनबाद
झारखंड-828305

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 03.07.2024 का पत्र जो इस सचिवालय में 12.07.2024 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ दस रूपये का पो.आ.सं. 60एफ़ 406235 संलग्न कर बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करने हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है। इस कारण यह सचिवालय आपको किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना दे पाने में असमर्थ है।

उपरोक्त के आलोक में, यह सूचित किया जाता है कि आरटीआई माध्यम से शिकायत दर्ज करना और/या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के तहत परिभाषित जानकारी के अलावा अन्य विवरण मांगना आरटीआई के दायरे में नहीं आता है।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
rticell-vps@nic.in

अपिलिय अनिवार्य आवेदन

नोट :— विपक्षीगण ने मेरे चल—अचल सम्पति षड़यंत्र एवं भ्रष्टाचारी द्वारा हड़पकर चुपके से चालबाजी द्वारा दुसरा लड़का से शादी करके मेरे पीछे दुसरा बार फिर से फेमली कोर्ट कोडरमा में साँठ—गाँठ कर विपक्षीगण एवं विपक्षीगण के सहयोगियों ने न्यायालय से मेरे विरूद्ध तरह तरह के हथकंडे अपनाकर मुझे मानसिक परेशानी करने पर उतारू होते हुए मुझे पर विपक्षीगण ने भरण—पोषण का मुकदमा दर्ज करवाया। जो मुझे विश्वास सुत्रों से प्राप्त होते ही मैं कोडरमा फेमली कोर्ट से दिनांक—14/11/2016 एवं 17/06/2022 का आदेश की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर मैं इंसाफ के लिए श्रीमान् के समक्ष आवेदन के साथ संलग्न कर दिनांक—11/05/2024 को प्रेषित कर चुका हूँ। श्रीमान् मुझ गरीब व्यक्ति को झालसा के कोषांग प्रकोष्ठ द्वारा निःशुल्क विधिक कानुनी सहायता प्राधिकरण के अधिनियम—1987 की धारा—12 के अन्तर्गत क्रिमनल विशेषक ईमानदार अधिवक्ता प्रदान करते हुए उस अधिवक्ता द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में कोडरमा फेमली कोर्ट के कार्य एवं आदेश के विरूद्ध शीघ्र अतिशीघ्र Cr.M.P (Cr. Appeal) याचिका दाखिल करने में टालमटोल तथा फेक फेकाव एवं झारखण्ड उच्च न्यायालय में जो Cr.M.P / Cr. Appeal No.-------- की जानकारी तथा झालसा प्राधिकरण द्वारा मुझे निःशुल्क ईमानदार अधिवक्ता प्रदान की गई है उस अधिवक्ता का नाम एवं पुरा पता की जानकारी अभी तक अवगत नहीं कराने के कारण मैं टेंशन द्वारा मैं लकवा एवं मानसिक रोग इत्यादी बीमारीयों से ग्रस्त हो गया हूँ। श्रीमान् से प्रार्थना है कि आप अपने विशेष अधिकार एवं सहायता द्वारा मुझे गरीब लाचार व्यक्ति को कोडरमा फेमली कोर्ट के गलत कार्य एवं आदेश के प्रकोप से बचा ले माई लॉड।

सेवा में,

दिनांक—03/07/2024

श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय

झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकरण

राँची।

DSR/1102 12.07.24

VPSEC-SS/RTI-20/2024-2025

The Hon'Ble the Acting chief Justice & Jharkhand of (JHALSA) Parton ...in... Chief Sri S. Chandr Seakher 'J' AND HIS Companion other Justice & Jharkhand Govt. of JHALSA Excutive Chairman Sri Sujet Narayan Prasad 'J' of Set And Aside P. A. & Court Master of all staff the Hon'Ble Jharkhand High Court of Ranchi.

In the Heigh Court of Jharkhand at Ranchi

(Cr. Appeal/Cr. M.P.) No. .... of 2024

In the matter of :-

An Application U/S-482 of the

Court of Criminal Procodure

AND

In the Matter of :-

12/07/2024

SO(G)

Mr Prateek

Md. Jamil Akhtar S/O Late Md. Farid Uddin, Resident of Mahuda, P.O. & P.S. Mahuda,

Dist : Dhanbad .... Petitioner's

VERSES

State of Jharkhand and another's .... Opposite Party.

Cont..P/2

For the Petitioner's .... Sr. Advocate & Exuecutive Chairman of (JHALSA) Govt.

विषय :– कोडरमा फेमली कोर्ट के दिनांक–24 / 11 / 2016 एवं दिनांक–17 / 06 / 2022 तक के कार्य एवं आदेश के विरूद्ध शीघ्र झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में Cr.M.P (Cr. Appeal) याचिका (पार्टिशन) द्वारा नीचली अदालत के आदेशों पर संज्ञान लेवाते हुए शीघ्र Stay का आदेश पारित करवाने की कृपा करते हुए पुनः शीघ्र अतिशीघ्र श्रीमान् ससमय के अन्तर्गत आप अपने दया एवं सहायता द्वारा कोडरमा फेमली कोर्ट के सारे कार्य एंव सारे आदेशों को समाप्त हेतु :–

महाशय,

सविनय निवेदन यह है कि मुझे कोई लॉ की जानकारी नहीं है, मैं संविधान, लोकतंत्र न्यायपालिका, झालसा के ईमानदार अध्यक्ष एवं अधिवक्ता तथा ईश्वर पर भरोसा करता हूँ श्रीमान् मुझे विपक्षीगणों ने चाल बाजी, एवं धोखाघड़ी और षड़यंत्र तथा जर्दकोप द्वारा मेरे गारजीयन (मो0 फरीद) को मरने के बाद मेरे चल–अचल सम्पति को हडपते हुए मुझे तरह तरह के हथकंडे अपनाते हुए शारीरिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर कर मेरे ईज्जत से खिलवाड़ एवं जान से मारने तथा मानसिक प्रताड़ित करने पर उतारू।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि मेरे भेजे आवेदन एवं Anex पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए श्रीमान् अपने विशेष अधिकार द्वारा नीचली अदालत (कोडरमा फेमली कोर्ट) के कार्य तथा अन्य आदेशों सहित सारे आदेशों पर संज्ञान लेते हुए पुनः शीघ्र अतिशीघ्र Stay का आदेश तथा मेरे विरूद्ध जो कोडरमा फेमली कोर्ट से आदेश पारित उस आदेश को श्रीमान् आप अपने अधिकार द्वारा समाप्त करने का आदेश पारित करवाने की कृपा की जाए। मैं श्रीमान् की इस सहायता एवं दयामय कार्य के लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगा।

अनुलग्नक :–

1. आवेदन 13 / 06 / 2023, 11 / 05 / 2024, 25 / 05 / 24 की छायाप्रति को इस आवेदन के साथ संलग्न कर श्रीमान् के पास प्रेषित।
2. मैं श्रीमान् को मैं अपना मानसिक रोग ब्रेन का सिटी स्केन की रिपोर्ट की छायाप्रति मैं इस आवेदन के साथ प्रेषित।
3. रिम्स हॉस्पीटल मानसिक रोग का डॉक्टर द्वारा ईलाज का पुर्जा की छायाप्रति इस आवेदन के साथ प्रेषित।
4. श्रीमान् के अवलोकनार्थ मुझे झारखण्ड उच्च न्यायालय में झालसा विधिक सेवा प्रधिकरण द्वारा निःशुल्क (फ्री) सिनियर क्रिमनल विशेषक अधिवक्ता अनुदान द्वारा प्राप्ति, उस अधिवक्ता का नाम एवं पुरा पता तथा झालसा के कोषांग (प्रकोष्ठ) द्वारा निःशुल्क (फ्री) झारखण्ड उच्च न्यायालय में Cr. M.P./Cr. Appeal याचिका दाखिल, उस Cr. Appeal (Cr. M.P.) No. .... of 2024 एवं झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा Stay का आदेश पारित की जानकारी हिन्दी में अनुवाद द्वारा U/S 6/3 के अन्तर्गत ससमय के अन्दर मैं 10/– रूपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या–60F 406235 दिनांक– 19 / 01 / 2024 का प्रेषित।
5. झारखण्ड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव द्वारा पत्रांक–13 / 09 / 23 को मुझे प्राप्त हुआ उसकी छायाप्रति।

आपका आज्ञाकारी

मो. जमील अख्तर

मो0 जमील अखतर (धनबाद)
C/O मो0 नौशाद जेनरल स्टोर
ग्राम+पो0–महुदा
जिला–धनबाद (झारखण्ड)
पिन–828305

प्रतिलिपि :– 1. श्रीमान् उप राष्ट्रपति महोदय, नई दिल्ली।

(18)

Dr. Anand Prakash

H.O.D. & Additional Professor
Dept. of Neurosurgery
RIMS, Ranchi
Rajendra Institute Of Medical Sciences
Bariatu Ranchi

UHID: 2024[illegible]

CONSULTING ROOM NO :Neuro Surgery OPD, TOKEN NO : 17
Clinic Neuro Surgery
Days:MON,TUE,WED,SAT

OUT PATIENT RECORD

Name : MD JAMIL AKHTAR
Department : Neuro Surgery
Dept No. : 2024/074/0017393
Date of Registration : 22-06-2024 08:56:13 AM
Unit: : Unit I
Age : 54Y
Billing Type : General
Mobile No : *******360
Address : AT MAHUDA , 8409301360, Dhanbad, JHARKHAND, INDIA
Patient Type:NON MLC

Fee : 5.00
Sex : Male
S/O MD FARID
Island Id :
Occupation : OTHER
Prepared by:Mr. Deepak [illegible]

Date and Time of initial assessment: : c/o slurring speech

Clinical History : (Rt) sided Hemiparesis | 9 days.

Examination Findings : GCS - 15/15

Investigation : NCCT Brain (10/06/2024)

Diagnosis : ↓ Brain atrophic change.

Treatment :

Rx
① Tab Levipil (500) → [illegible] 1x2
② Tab CEREMAX PLUS → 1 Month 1x1 FAD
③ Tab CALPOL (650) 1 tab (SOS) [illegible]
④ Cap Mecsaub (20) → [illegible] 1x1

Follow-up advice : Adv MRI Brain (P)

Consult Medicine OPD

[signature] 22/06/2024

Doctor's Name
Signature / Date

अंगदान-जीवनदान माटी का शरीर है,एक दिन माटी में मिल जायेगा अंगदान कर जा मानव,संसार तेरे ही गुण गाएगा
M.N.-9430394137 email:angdaan@hotmail.com Address: 1st floor, Anatomy Department,RIMS

Patient ID	:[redacted]	[redacted]	[redacted]
Patient Name	:JAMIL AKHTAR	[redacted]	[redacted]
Test Name	:NCCT HEAD	[redacted]	[redacted]
Referred By	:DR A.K.DAWN	[redacted]	[redacted]

NCCT HEAD

POSTERIOR FOSSA

- Basal cisterns are normal.
- Fourth ventricle is normal in outline and position.
- Cerebellar parenchyma and pons reveal normal attenuation.
- Cerebello-pontine angles are normal.
- Brain stem and Sellar region are normal.

SUPRATENTORIAL COMPARTMENT

- **There is e/o bilateral subdural hygroma noted in frontal region.**
- Cerebral parenchyma shows normal attenuation without any hypo or hyper dense area. Grey and white matter differentiation is well maintained.
- Lateral and third ventricles are normal in size and position.
- Septum is in midline.
- Sella and supra Sellar cisterns are normal.
- Mesencephalon and perimesencephalic regions are normal.
- No evidence of any intra or extra cranial haematoma seen.
- Bony calverium appears unremarkable.

IMPERRSION. - Bilateral subdural hygroma in frontal region.

Dr. Raghvendra Pratap Singh
Consultant Radiologist
MD (Radio-Diagnosis)

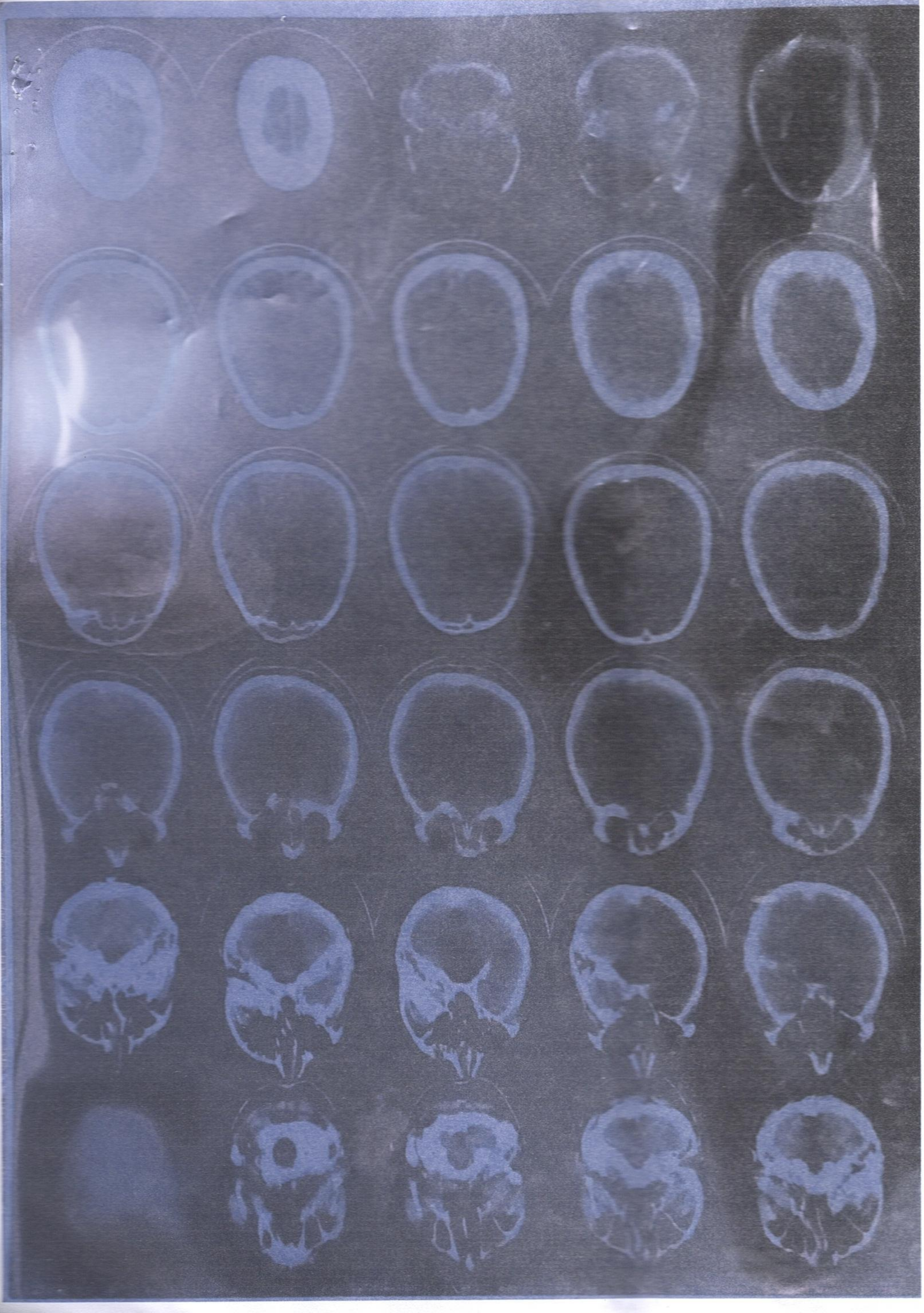

JHARKHAND HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE
HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI
Mob. No.- 9431100488, E-mail:- hclscranch@gmail.com

Letter No: HCLSC/2195/23
Dated : 13/09/2023

CHAIRMAN
Justice Rongon Mukhopadhyay,
Judge
Jharkhand High Court

SECRETARY
Ravi Shankar Mishra,
(District Judge)

सेवा में,

मोहम्मद जमील अख्तर,
पिताः– स्व0 मो0 फरीद,
ग्राम एवं पोस्टः– महुदा,
जिलाः– धनबाद, झारखंड

आपका आवेदन दिनांक 13/06/2023 जो कि श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, झालसा न्याय सदन, रॉंची को संबोधित है, अधोहस्ताक्षरी को उनके पत्रांक 2928 दिनांक 15/09/2023 के द्वारा नियमानुसार आपको विधिक सहायता प्रदान करने हेतु अग्रसारित किया गया है।

आपके उपरोक्त आवेदन के आलोक में आपको विधिक सहायता प्रदान करने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई हेतु विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत निहित किसी एक दस्तावेज की आवश्यता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत निहित किसी एक दस्तावेज को हस्ताक्षरी को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि आपको विधिक सहायता प्रदान करने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकें।

इसे अतिआवश्यक समझें।

18/09/23
सचिव,
झारखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,
रॉंची

554
16/9/23

NYAYA SADAN

JHARKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY (JHALSA)

NEAR A.G. OFFICE, DORANDA, RANCHI- 834002
E-mail: jhalsaranchi@gmail.com

Patron-in-Chief
Hon'ble the Chief Justice
Jharkhand High Court

Executive Chairman
Justice S. Chandrashekhar
Judge,
Jharkhand High Court

Member Secretary
Santosh Kumar
(Principal District Judge)

L No: JHALSA/ 2928
Dated: 15/09/23

To,

The Secretary,
High Court Legal Services Committee
Ranchi

Sir,

Most humbly and respectfully, please find enclosed herewith application dt 13.6.23 (alongwith enclosures) of Md. Jamil Akhtar, S/o Late Md. Farid, PO Mahuda, Dhanbad-828305 for extending legal services in accordance with law.

Thanking You.

Yours faithfully

14/9/23

(Santosh Kumar)
Member Secretary

Encl: As above

EJ330212497IN IVR:6974330212497
SP BERMO SO <829104>
Counter No:1.13/05/2024.13:31
To:CHIEF JUSTICE.JHARKHAND HIGH C
PIN:834002. Doranda HO
From:JAMIL AKHTAR.MAHUDA
Wt:60gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks. Stay Safe>

RJ301264109IN IVR:8274301264109
RL BERMO SO <829104>
Counter No:1.13/05/2024.13:33
To:PRESIDENT OF .RASHTRAPATI BHAW
PIN:110004. Rashtrapati Bhawan SO
From:JAMIL AKHTAR.MAHUDA
Wt:20gms.REG=17.0
Amt:25.96(Cash)Tax:3.96
<Track on www.indiapost.gov.in>

Urgent Application

नोट :– झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची झालसा (JHALSA) से सह संरक्षक एवं कार्यकारी अध्यक्ष से मुझ गरीब बेरोजगार, दुखदायी व्यक्ति (मो0 जमील अखतर) को निःशुल्क सहायता कानुनी झालसा (न्याय–सदन) विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिनियम–1987 की धारा–12 के अन्तर्गत झालसा के कोषांग (प्रकोष्ठ) द्वारा अनुदान प्राप्ति, निःशुल्क (फ्री) झारखण्ड उच्च न्यायालय में ससमय के अन्तर्गत शीघ्र Cr.M.P याचिका दर्ज करने के लिए क्रिमनल विशेषक ईमानदार सिनियर अधिवक्ता शीघ्र अनुदान की जाए। जो झालसा (न्याय–सदन) विधिक सेवा प्राधिकारण द्वारा जो सिनियर क्रिमनल अधिवक्ता प्रदान, उस अधिवक्ता का नाम एवं पुरा पता के साथ शीघ्र अवगत। श्रीमान् के अवलोकनाथ मेरे आवेदन को टाल–मटोल, फेक–फेकाव एवं इधर–उधर प्रेषित न करें। बल्की झालसा (न्याय–सदन) के कार्यकारी अध्यक्ष के समक्ष शीघ्र अतिशीघ्र हस्तांतरीत किया जाए, विलम्ब न करें। श्रीमान् माई लॉड के सहायता एवं दया द्वारा मुझे शीघ्र इंसाफ–न्याय प्राप्ती।

सेवा में, दिनांक–11/05/2024

श्रीमान् सदस्य सचिव, महोदय
झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकरण
राँची।

In the Jharkhand High Court of (JHALSA) Parton- in-Chief & the Hon'Ble Acting Chief Justice Sri S. Chandrseakhar Sinha AND His Companion other Justice of Set and Aside the Hon'Ble Jharkhand High Court at Ranchi

Cr. M.P. No. 2024

Md. Jamil Akhtar --------------------- Patitioner

Verses

State of Jharkhand and A.N.R. .... O.P.P.

विषय :– श्रीमान् आप अपने विषेश अधिकार द्वारा शीघ्र कोडरमा फैमली कोर्ट के (उक्त श्री आलोक कुमार पाठक के न्यायधिश द्वारा दिनांक–24/11/2016 आदेश एवं श्री सैयद समीम फातमी न्यायधिश द्वारा दिनांक–17/06/2022 के आदेश तथा जो फैमली कोर्ट द्वारा मेरे विरूद्ध वारंट एवं अन्य आदेश) सभी आदेशों पर संज्ञान लेवाते हुए पुनः ससमय के अन्तर्गत झारखण्ड उच्च न्यायालय में Cr. M.P. द्वारा शीघ्र Stay का आदेश हेतु :–

महाशय,

सविनय निवेदन यह है कि श्रीमान् झारखण्ड उच्च न्यायालय विधिक समिति के सचिव द्वारा पत्रांक दिनांक–13/09/2023 का मुझे प्राप्त हुंआ। श्रीमान् मुझे गरीब व्यक्ति को स्वच्छ न्याय प्राप्ती के लिए नई दिशा देखवायें हैं। मैं श्रीमान् का शुक्र गुजार हुं। मैं बिमार पड़ जाने के कारण मैं श्रीमान् विधिक सेवा प्राधिकरण सदस्य सचिव के समक्ष आवेदन भेजने में विलम्ब (देर) हो गया। इसके लिए क्षमा कर दें। मुझे कोई लॉ की जानकारी नहीं। मैं संविधान, न्यायपालिका, झालसा के ईमानदार अध्यक्ष एवं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ। मुझे झालसा विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा मुझे (फ्री) निःशुल्क सिनियर क्रिमनल विशेषक अधिवक्ता जो प्राप्ती। उस अधिवक्ता द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में Cr. M.P. याचिका दर्ज करवाते हुए पुनः Stay का आदेश पारित शीघ्र अतिशीघ्र करवाने की कृपा करें। विपक्षी गणों ने धोखाधड़ी, षड़यंत्र तथा जर्दकोप द्वारा मेरा चल–अचल सम्पति को हड़पकर मुझे शारीरिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर कर विपक्षी गणों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाकर मेरा इज्जत एवं जान से मारने तथा मानसिक प्रताड़ित करने पर उतारू है।

Cont...P/2

माई लॉड श्रीमान् मुझे विपक्षी गणों एवं कोडरमा फैमली कोर्ट के गलत आदेशों की प्रक्रिया के प्रकोप से बचा लें।

मैं श्रीमान् को ध्यान आकृष्ट :–

मैं पिताजी के समय में कुरपनियाँ में एक किराना दुकान चलाया करता था। हमलोग सीधा–सादा व्यक्ति होने के कारण हम इज्जत एवं सुख–शांति जीवन व्यतित कर रहा थे। एकाएक मेरा पिताजी को बहला फुसला कर मो0 इस्लामुल हक (बंगला देशी) लालची ने मेरे चल–अचल सम्पति को हड़पने के लिए मो0 इस्लामुल हक ने अपनी बेटी आसमा आसमीन के गलत चरित्र को छुपाकर षड्यंत्र द्वारा मेरे साथ दिनांक–23 / 04 / 1998 ई0 को शादी सम्पन्न, मगर आसमा आसमीन ज्यादा करके अपने मायके कोडरमा में रहा करती थी। मो0 इस्लामुल हक ने दुसरी बेटी की शादी के समय में मुझसे आसमा आसमीन के सहयोग एवं षड्यंत्र द्वारा Rs. 1,50,000/- रूपया प्राप्त तथा एकाएक इस्लामुलहक का पैर टुट गया, उस समय आसमा आसमीन मेरे साथ कुरपनियाँ में थी हमलोगों को मालुम होते ही आसमा आसमीन मायके कोडरमा चली गई, आसमा आसमीन ने जोर देकर मुझसे राँची में डॉ0 अमीत मुखर्जी के यहाँ Rs. 1,50,000/- रूपया मो0 इस्लामुलहक के हाथ में मैंने दिये एवं दिलाशा देकर मैं कुरपनियाँ लौट गया। मगर मैंने अपने माँ एवं पिता को चुपके रूपया देते रहे, आखिर कार मेरा पिताजी को Rs. 3,00,000/- के बारे में मालुम होते ही एकाएक दिनांक–07 / 08 / 2006 ई0 को मेरे पिता (मो0 फरीद) जी स्वर्गवास हो गये। मेरा पिताजी के स्वार्गवास होने के बाद मो0 इस्लामुलहक एवं आसमा आसमीन के कहने पर दोनों भाईयों में सुलह नामा द्वारा दिनांक–25 / 09 / 2006 ई0 को अलग–अलग हो गये। जो मेरे किराना दुकान से Rs. 3,00,000/- रूपया निकल जाने के कारण फुलता फालता मेरा किराना दुकान बन्द। मैं दिनांक–25 / 09 / 2006 ई0 से ही नाला के पार कुरपनियाँ में हाजी हुसैनी के बनाये हुए मकान में भाड़ा पर रह रहे थे। एकाएक मो0 इस्लामुलहक ने कुरपनियाँ के थाना प्रभारी श्री अंजन कुमार जो कोडरमा के निवासी थे, उसके साथ एवं अन्य लोगों के सहयोग से मुझसे जबरन मेरी दिनांक–1994 ई0 कि हजारीबाग का किमती जमीन जो दिनांक 22/05/08 को लिखवाकर मुझे हर तरह से आर्थिक, मानसिक से कमजोर।

मैं श्रीमान् को संक्षेप विवरण द्वारा अवगत :–

1. मैं कुरपनियाँ से चलकर ग्राम महुदा, जिला धनबाद में मट्टी के घर में भाड़ा में रहने लगा।

मैं इस आवेदन के साथ मैं अपना आधार कार्ड की छायाप्रति श्रीमान् को प्रेषित।

2. मो0 इस्लामुल हक एवं आसमा आसमीन ने षड़यंत्र द्वारा मेरा चल–अचल सम्पति को हड़पकर मुझ पर मेटेनेंन्स (भरण पोषण) का दिनांक–15 / 12 / 2009 ई0 को मुकदमा 70 / 2009 कोडरमा न्यायालय में साँठ–गाँठ कर कोडरमा न्यायालय में दर्ज।

मैं इस आवेदन के साथ जो आसमा आसमीन ने कोडरमा फैमली कोर्ट में दिनांक–15 / 12 / 2009 ई0 को पर्टिशन केस संख्या–70 / 2009 दर्ज, उसकी छायाप्रति श्रीमान् को प्रेषित।

3. मुझे कोडरमा न्यायालय केस के सम्बन्ध में विश्वास सुत्रों से मालुम होते ही मैंने न्यायपालिका का सम्मान करते हुए मैं दिनांक–05 / 01 / 2010 ई0 को कोडरमा न्यायालय में आत्म सम्पर्ण किया था।

मैं इस आवेदन के साथ मैंने जो दिनांक–05 / 01 / 2010 ई0 को आत्म सम्पर्ण कोडरमा न्यायालय में किया था उसकी छायाप्रति श्रीमान् को प्रेषित।

4. कोडरमा फैमली कोर्ट में मेरे सामने विपक्षीगण के वकिल के मौजुदगी में मेरे वकिल ने न्यायधिश श्री एम0सी0 नायायण के समक्ष गवाहों का ब्यान एवं मेरे वकिल का जीरा एवं बहस सुनने के बाद श्री एम0सी0 नारायण न्यायधिश ने दिनांक–19 / 08 / 2010 ई0 को आदेश पारित कर मुझे भरण पोषण से मुक्त।

Cont...P/3

मैं इस आवेदन के साथ जो फैमली कोर्ट के न्यायधिश एम०सी० नारायण के द्वारा दिनांक–19/08/2010 का आदेश पारित, उसकी छायाप्रति श्रीमान् को प्रेषित।

5. मो0 इस्लामुल हक एवं इत्यादीयों ने मुझे दिनांक–29/11/2010 ई0 को कोडरमा न्यायालय के कैम्पस के अन्दर जान से मारने पर उतारू, तो मैंने अधिवक्ता द्वारा कोडरमा के A.D.J, 1st के समक्ष आवेदन दिनांक–29/11/2010 ई0 को प्रेषित, मगर मेरे आवेदन पर ना जाँच एवं न मो0 इस्लामुल हक के विरूद्ध कोई कानुनी कार्रवाई। मैं इस तरह कोडरमा न्यायालय में साँठ–गाँठ की प्रक्रिया को देखते हुए मैं बराबर सहमें एवं जान एवं इज्जत का डर लगा रहता है।

मैं इस आवेदन के साथ कोडरमा के A.D.J, 1st न्यायधिश के समक्ष दिनांक–29/11/2010 का आवेदन, उसकी छायाप्रति श्रीमान् को प्रेषित।

6. मो0 इस्लामुल हक एवं आसमा आसमीन ने न्यायपालिका की मर्यादा का हनन करते हुए कोडरमा फैमली कोर्ट में साँठ गाँठकर षडयंत्र द्वारा फिर से दुसरा बार मेरे विरूद्ध भरण पोषण का आदेश पारित, मुझे विश्वास सुत्रों से मालुम होते ही मैंने कोडरमा न्यायालय के दिनांक–24/11/2016 के आदेश के विरूद्ध मैंने झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में अधिवक्ता द्वारा Cr. Rev. No. 100/2017 पर्टिशन दर्ज, मगर झारखण्ड उच्च न्यायालय के जस्टीस ने U/S-127 Cr.P.C के तहत कोडरमा न्यायालय में मुकदमा वापस।

मैं इस आवेदन के साथ (i) कोडरमा फैमली कोर्ट का दिनांक–24/11/2016 को आदेश पारित एवं (ii) झारखण्ड उच्च न्यायालय के Cr. Rev. No. 100/2017 द्वारा दिनांक–17/11/2021 को आदेश पारित, उसकी छायाप्रति श्रीमान् के समक्ष प्रेषित।

7. मैंने कोडरमा न्यायालय के अधिवक्ता द्वारा Mis Pition No. - 08/2021 याचिका कोडरमा न्यायालय में दिनांक–22/12/2021 को दर्ज।

मैं इस आवेदन के साथ कोडरमा न्यायालय में Mis Pition No. - 08/2011 की छायाप्रति श्रीमान् को प्रेषित।

8. मुझे विश्वास सुत्रों से ज्ञात हुआ कि दिनांक–20/02/2024 को कोडरमा के फैमली कोर्ट द्वारा Mis Pition No. - 08/2021 में आदेश पारित हुआ है, मैंने दुसरे व्यक्ति द्वारा न्यायालय से सर्टिफाइड कॉपी मँगवाया, मुझे प्राप्त होते ही (मैंने श्रीमान् सैयद सलीम फातमी का दिनांक–17/06/2022 को जो आदेश पारित) मैं श्रीमान् के समक्ष अवगत।

मैं इस आवेदन के साथ जो कोडरमा फैमली कोर्ट के द्वारा दिनांक–17/06/2022 की आदेश पारित, उसकी छायाप्रति श्रीमान् को प्रेषित।

न्याय एवं न्यायोचित होगा कि श्रीमान् मान्यवार न्यायधिश से न्याय हेतु प्रार्थना है कि आप अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए जैसे मो0 सकील अनवर के Cr. M.P. No. 2444/2013 के पर्टिशन अनुसार जिस तरह झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा Stay पारित करवा कर (वो नीचली कोर्ट में आदेश के कार्य कारणी से बचा)। यदि यह विषय वस्तु आपके आधिकार में नहीं है तो कृपया इसे उस मान्यवर न्यायधिश को हस्तांतरीत करने का कष्ट करें। मुझे भी कोडरमा के फैमली कोर्ट के कार्य एवं आदेश से छुटकारा एवं वंचित के लिए शीघ्र Stay पारित करवाने की कृपा करें।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि मेरे आवेदन एवं दस्तावेजों की छायाप्रति को शीघ्र झालसा के मुख्य न्यायधिश सह संरक्षक के समक्ष न्याय प्राप्ती के लिए हस्तांतरीत करते हुए पुनः नीचली अदालत के सारे आदेशों पर संज्ञान लेते हुए पुनः Stay एवं मेरे विरूद्ध सारे आदेशों को समाप्त करने का आदेश पारित की जाए

Cont...P/4

ताकि मुझे सुख–शांति एवं इज्जत से जीवन व्यतित करने एवं मानसिक परेशानी से मुक्त। मैं श्रीमान् के इस इसांफ एवं दयामय कार्य के लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगा।

अनुलग्नक :–

1. झारखण्ड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव द्वारा पत्रांक–13 / 09 / 2023 को मुझे प्राप्त हुआ उसकी छायाप्रति।
2. धनबाद न्यायालय द्वारा जो मो0 सकील अनवर के विरूद्ध N.B.W & arrested एवं इत्यादी आदेश निर्गत होने के बाद भी झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में अधिवक्ता ने Cr. M.P. No. 2444/2013 द्वारा नीचली अदालत के आदेशों पर संज्ञान लेकर पुनः जो Stay पारित हुआ था उसकी छायाप्रति श्रीमान् को प्रेषित।
3. मेरे पिताजी दिनांक–07 / 08 / 2006 ई0 को देहान्त, उसकी छायाप्रति।
4. श्रीमान् के अवलोकनार्थ मुझे श्रीमान् जस्टीस द्वारा stay का आदेश पारित करवाते हुए शीध्र सरल भाषा हिन्दी में अनुवाद द्वारा अवगत, श्रीमान् जस्टिस द्वारा stay का आदेश ससमय के अन्दर U/S-6(3) के अन्तर्गत शीध्र-जानकारी प्राप्ती के लिए मैं Rs. 10/– रूपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या–60F-408154 दिनांक– 12 / 04 / 2024 का प्रेषित।
5. जो आसमा आसमीन ने दिनांक–15 / 12 / 2009 ई0 में मुकदमा 70 / 09 कोडरमा फैमली कोर्ट में दर्ज, उसकी छायाप्रति।
6. मैं कोडरमा न्यायलय में दिनांक–05 / 01 / 2010 ई0 को आत्म सम्पर्ण किया था उसकी छायाप्रति।
7. कोडरमा फैमली कोर्ट के न्यायधिश द्वारा जो दिनांक–19 / 08 / 2010 ई0 को मुझे भरण पोषण के झुठा मुकदमा से मुक्ति का आदेश पारित उसकी छायाप्रति।
8. मैंने कोडरमा न्यायालय में दिनांक–29 / 11 / 2010 ई0 को A.D.J 1st के न्यायधिश के समक्ष आवेदन प्रेषित, उसकी छायाप्रति श्रीमान् को अवगत।
9. मेरे विरूद्ध कोडरमा न्यायालय में साँठ–गाँठ कर कोडरमा फैमली कोर्ट द्वारा दिनांक–24 / 11 / 2016 को आदेश पारित, उसकी छायाप्रति।
10. झारखण्ड उच्च न्यायालय के Cr. Rev. No.100/2017 द्वारा दिनांक–17 / 11 / 21 को आदेश पारित, उसकी छायाप्रति।
11. मेरे विरूद्व श्रीमान् सैयद समीम फातमी द्वारा दिनांक–17 / 06 / 22 को आदेश पारित, उसकी छायप्रति।
12. मैं झारखण्ड उच्च न्यायालय के वकालत नामा पर (मो0 जमील अखतर) हस्ताक्षर कर श्रीमान् के समक्ष प्रेषित।
13. मैं दिनांक–13 / 06 / 23 आवेदन द्वारा न्याय की गुहार उसकी छायाप्रति।

आपका आज्ञाकारी

मो॰ जमील अखतर

मो0 जमील अखतर
ग्राम+पो0–महुदा
जिला–धनबाद (झारखण्ड)
पिन–828305

प्रतिलिपि :– 1. श्रीमान् राष्ट्रपति महोदया (भारत सरकार),नई दिल्ली।

EJ239017872IN IVR:6974239017 भारतीय डाक
SP DHORI SO <825102>
Counter No:1,27/05/2024,12:48
To:HON EXCUTIVE ,NYAYA SADAN DORA INDIA POST
PIN:834002, Doranda HO
From:MD JAMIL AKHTAR ,HOHUDA
Wt:75gms
Amt:41.30,Tax:6.30,Amt.Paid:41.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक
EJ239018008IN IVR:6974239018008
SP DHORI SO <825102>
Counter No:1,27/05/2024,12:48 INDIA POST
To:THE SECRETORY,HIGH COURT RANCH
PIN:834004, Dhurwa SO
From:MD JAMIL AKHTAR ,HOHUDA
Wt:75gms
Amt:41.30,Tax:6.30,Amt.Paid:41.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

Urgent Application (Reminder)

नोट :– श्रीमान् के अवलोकनार्थ यदि विषय वस्तु आपके अधिकार में नहीं है, तो कृपया उस ईमानदार न्यायधिश को हस्तांतरीत करने का कृष्ट करें, क्योंकि विपक्षीगण ने न्यायपालिका की मर्यादा का हनन् कर रहे हैं उसे रोकने के लिए शीध्र श्रीमान् उस दिनांक–13/06/2023 एवं 11/05/2024 के आवेदन के साथ Anex. सहित सभी को झालसा (न्याय सदन) के कार्यालय द्वारा प्राप्त कर शीध्र झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के चीफ जस्टीस एवं सह संरक्षक या झारखण्ड प्राप्त के झालसा के ईमानदार कार्यकारी अण्ध्यक्ष के समक्ष शीध्र हस्तांतरीत करने की कृपा करें। लोकतंत्र एवं संविधान का मुल अधिकार ईमानदारी, सहायता के माध्यम से न्यायपालिका के न्यायधिश द्वारा ही न्याय प्राप्ति। मैं बेरोजगार गरीब व्यक्ति मो0 जमील अखतर को झारखण्ड झालसा (JHALSA) कानुन विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिनियम–1987 की धारा–12 के अन्तर्गत अनुदान द्वारा मुझे निःशुल्क (फ्री) झालसा के कोषांग (प्रकोष्ठ) द्वारा क्रिमनल विशेषक सिनियर अधिवक्ता शीध्र प्रदान करते हुए ससमय के अन्तर्गत शीध्र नीचली अदालत (कोडरमा फैमली कोर्ट) आदेश के विरूद्ध झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में Cr. Appeal (Cr.M.P) याचिका दर्ज करवाते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय में शीध्र दाखिल करने/करवाने में विलम्ब (टाल–मटोल, फेक–फेकाव) न करें। मैं न्याय के लिए गुहार लगाते आ रहा हूँ। माई लॉर्ड मुझे कोडरमा फैमली कोर्ट द्वारा कार्य आदेश के प्रकोप से बचा लें।

The Hon'Ble the Acting Chief Justice & Jharkhand of (JHALSA) Parton .. in... Chief Sri S.Chandr Seakher 'J' AND HIS Companion Other Justice & Jharkhand Govt. of JHALSA Excutive Chairman Sri Sujet Narayan Prasad 'J' of Set And Aside P.A&Court Master of all staff the Hon'Ble Jharkhand High Court at Ranchi.

To

dt. 25/05/2024

The Appellate Authority/Executive chairman of Jhalsa.

Jharkhand Leagel Services Authority (Jhalsa) of Chairman Executive chamber

Nyaya-Sadan, Near A.G. office, Dronda, Ranchi

In the Heigh Court of Jharkhand at Ranchi

(Cr. Appeal/Cr.M.P.) No............. of 2024

In the matter of :-

An Application U/S-482 of the

Court of Criminal Procodure

AND

In the Matter of :-

Md. Jamil Akhtar S/O Late Md. Farid Uddin, Resident of Mahuda, P.O & P.S.-- Mahuda,

Dist : Dhanbad .... Petitioner's'

VERSES

State of Jharkhand and another's .... Opposite Party.

For the Petitioner'S' ____________ Sr. Advocate & Exuecutive chairman of (JHALSA) Govt.

विषय :– श्रीमान् आप अपने विशेष अधिकार द्वारा शीध्र कोडरमा फैमली कोर्ट के दिनांक–24/11/2016

Cont..P/2

एवं दिनांक—17 / 06 / 2022 तक के कार्य एवं आदेश के विरूद्ध शीघ्र झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में Cr.M.P. (Cr. Appeal) याचिका दाखिल तथा श्रीमान् Cr.M.P. (Cr. Appeal) द्वारा नीचली अदालत के आदेशों पर संज्ञान लेवाते हुए शीघ्र Stay का आदेश पारित करवाने की कृपा करते हुए पुनः शीघ्र अतिशीघ्र श्रीमान् आप आपने दया एवं सहायता द्वारा कोडरमा फैमली कोर्ट के सारे कार्य एवं सारे आदेशों को समाप्त हेतु :—

महाशय,

सविनय निवेदन यह है कि मुझे कोई लॉ की जानकारी नहीं है, मैं संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, झालसा के ईमानदार अध्यक्ष एवं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ श्रीमान् मुझे विपक्षीगणों ने चाल बाजी, एवं धोखाघड़ी और षड़यंत्र तथा जर्दकोप द्वारा मेरे भारजीवन (मो0 फरीद) को मरने के बाद मेरे चल अचल सम्पति को हड़पते हुए मुझे शारीरिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। श्रीमान् विपक्षीगणों ने मुझ पर तरह तरह के हथकंडे अपना कर मेरा ईज्जत से खिलवाड़ एवं जान से मारने तथा मानसिक प्रताड़ित करने पर उतारू हैं।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि मेरे भेजे आवेदन एवं Anex. पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए श्रीमान् अपने विशेष अधिकार द्वारा नीचली अदालत (कोडरमा फैमली कोर्ट) के कार्य तथा अन्य आदेशों सहित सारे आदेशों पर संज्ञान लेते हुए पुनः शीघ्र अतिशीघ्र Stay का आदेश तथा मेरे विरूद्ध जो कोडरमा फैमली कोर्ट से आदेश पारित उस आदेश को श्रीमान् आप अपने अधिकार द्वारा समाप्त करने का आदेश पारित करवाने की कृपा की जाए। मैं श्रीमान् की इस सहायता एवं दयामय कार्य के लिए मैं श्रीमान् का सदा आभरी रहूँगा।

अनुलग्नक :—

1. आवेदन 13 / 06 / 2023, 11 / 05 / 224 की छायाप्रति को इस आवेदन के साथ संलगन कर श्रीमान् के पास प्रेषित।
2. मैं झारखण्ड उच्च न्यायालय के वकालत नामा पर हस्ताक्षर कर श्रीमान् के समक्ष प्रेषित।
3. मैं अपना आधार कार्ड की छायाप्रति पर हस्ताक्षर कर श्रीमान् के समक्ष प्रेषित।
4. श्रीमान् के अवलोकनार्थ मुझे झारखण्ड उच्च न्यायालय में झालसा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क (फ्री) सिनियर क्रिमनल विशेषक् अधिवक्ता अनुदान द्वारा प्राप्ती, उस अधिवक्ता का नाम एवं पुरा पता तथा झालसा के कोषांग (प्रकोष्ठ) द्वारा निःशुल्क (फ्री) झारखण्ड उच्च न्यायालय में Cr.M.P./Cr. Appeal याचिका दाखिल, उस Cr. Appeal (Cr.M.P.) No.-- of 2024 एवं कार्य तथा झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा Stay का आदेश पारित की जानकारी हिन्दी में अनुवाद द्वारा प्रदान के लिए U/S 6/3 के अर्न्तगत ससमय के अन्दर मैं 10/— रूपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या—60F-408153, दिनांक— 12/04/24 का प्रेषित।

आपका आज्ञाकारी,

मो. जमील अख्तर

मो0 जमील अखतर (धनबाद)
C/O मो0 नौशाद जेनरल स्टोर
ग्राम+पो0—महुदा
जिला—धनबाद (झारखण्ड)
पिन—828305

प्रतिलिपि :— 1. श्रीमती राष्ट्रपति महोदया (भारत सरकार), नई दिल्ली।
2. श्रीमान् भारत के मुख्य न्यायधिश, सुप्रिम कोर्ट, नई दिल्ली।

[illegible]
SP DHANBAD HO [illegible]
Counter [illegible]
To:THE HONBLE [illegible]
PIN:110001, New Delhi GPO
From:[illegible]
[illegible]
[illegible]
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 1800[illegible]) Wear Masks, Stay Safe

भारतीय डाक
India Post

③ EJ283150955IN
To The Hon'ble Excutive chairman.
Justice Sri Chandrashekhar Judge.
Jharkhand high court
Ranchi - 834002
Rs. 47/-
15/6/23

भारतीय डाक
India Post

④ EJ283150947IN
To
श्रीमान राष्ट्रपति महोदय
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
PN- 110004
Rs. 47/-
15/6/23

भारतीय डाक
India Post

② EJ283150788IN
To The Hon'ble chief justice
Ministery of law
Sri Arjun Ram meghwalla
Tilak Marg Mandi House
New Delhi - 110001
Rs. 47/
15/6/23

भारतीय डाक
India Post

① EJ283151077IN
To The Hon'ble Chief
Registrar General Supreme
Court of India
Neelam chand Sankhla
Tilak Marg.
New Delhi 110001
Rs. 47/
15/6/23

सत्यमेव ज्यते

नोट :– मैं बहुत गरीब एवं बेरोजगार व्यक्ति श्रीमान् सदस्य सचिव, झालसा (न्याय सदन) राँची एवं केन्द्रीय कानुन मंत्री महोदय (भारत सरकार), नई दिल्ली से प्रार्थना एव गुहार तथा श्रीमान् के समक्ष आग्रह कर रहा हूँ कि श्रीमान् आप अपने सहयोग द्वारा अनुदान प्रकोष्ठ (कोषांग) के माध्यम से निःशुल्क मुझे ईमानदार सिनियर अधिवक्ता प्रदान करें, जो सिनियर अधिवक्ता द्वारा कोडरमा न्यायालय से दूसरा बार भरण पोषण का गलत आदेश पारित, उस आदेश के विरूद्ध ईमानदार चीफ जस्टीस के समक्ष झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची के न्यायालय में Special leave to Appeal (Crl) दर्ज। श्रीमान् से आग्रह है कि Cr.MP No. 2444/13 में आदेशानुसार stay करने/करवाने की कृपा करें।

District & case No. .... District court Kodarma & maintenance case no. 70/09

State .... Jharkhand (India)

सेवा में, दिनांक–13/06/2023

श्रीमान् सदस्य सचिव, महोदय
झालसा (न्याय सदन) राँची।

In the establishmant of the HonB'le Chief Justice Sri Sanjay Kr. Mishra, Jharkhand High court And his companion other Justice of set and aside the HonB'le court at Ranchi.

In the Jhalsa (Nayaya Sadan) court of the HonB'le kindly Excutive Chairman, Ranchi.

Criminal Appeal No. .... /2023

Filling No. ....

In the matter of

An Appeal under section 372, read with section 389 (2) of Cr. P.C. 1973, या श्रीमान् आप अपने विशेष अधिकार द्वारा जो सन् 2021 ई0 को कोडरमा न्यायालय मे पर्टिशन दाखिल के बाद जो कोडरमा न्यायालय द्वारा Maintenance (भरण पोषण) का आदेश पारित, मुझे विश्वास सुत्रों से ज्ञात हुआ है कि मुझ पर कोडरमा न्यायालय से वारेंट निर्गत हुआ, श्रीमान् कोडरमा न्यायालय के उस आदेश पर किसी भी धारा के सेक्शन के तहत शीध्र संज्ञान लेकर उस कोडरमा न्यायालय के आदेश को समाप्त करने की कृपा करें, ताकि मुझे श्रीमान् आपके दया एवं इंसाफ द्वारा मानसिक, हारसमेंट परेशानी प्रक्रिया से मुक्ति प्राप्ति।

In the matter of

Md. Jamil Akthar Aged about years, S/O Late Md. Farid, R/O village Mahuda, PO : Mahuda, P.S. : Mahuda, Dist : Dhanbad (Jharkhand) .... Appellent (Petitioner)

Verses

State of Jharkhand & another's .... O.PP

Cont..P/2

महाशय,

सविनय निवेदन ये है कि मैं सन् 2010 ई0 से बेरोजगार, बेसहारा गरीब, सीधा सादा व्यक्ति, मुझे कोई लॉ की जानकारी नहीं बल्कि संविधान, न्यायपालिका एवं ईश्वर पर भरोसा तथा ईमानदार न्यायधिश, न्यायमूर्ति का आदर करता हूँ।

1. मो0 ईस्लामुल हक ने न्यायपालिका कि मर्यादा का हनन करते हुए न्यायालय में साँठ गाँठ कर षड़यंत्र द्वारा फिर से दुसरा बार मेरे विरूद्ध भरण पोषण का आदेश पारित, मुझे मालुम होते ही मैंने कोडरमा न्यायालय के आदेश के विरूद्ध झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में अधिवक्ता द्वारा Cr. Rev. No. - 100/2017 पर्टिशन दर्ज, मगर झारखण्ड उच्च न्यायालय के जस्टीस ने U/S-127 Cr.PC आदेश द्वारा फिर से कोडरमा न्यायालय में मुकदमा वापस।

मैं इस आवेदन के साथ जो झारखण्ड उच्च न्यायालय के जस्टीस द्वारा Cr. Rev. No. 100/217 में दिनांक–17/11/2021 का आदेश पारित कि छायाप्रति संलग्न Annex. 1

2. मैंने कोडरमा न्यायालय के अधिवक्ता द्वारा Mise Petition No. 08/2021 पर्टिशन कोडरमा न्यायालय में दिनांक–22/12/2021 को दर्ज।

मैं इस आवेदन के साथ कोडरमा न्यायालय के न्यायधिश के समक्ष काण्ड संख्या–8/21 के द्वारा पर्टिशन अवगत, उसकी छायाप्रति संलग्न, Annex-2

श्रीमान् को ध्यान आकृष्ट करा रहा हूँ :–

3. मो0 इस्लामुल हक ने अपनी बेटी आसमा आसमीन के गलत चरीत्र को छुपाने के लिए षड़यंत्र द्वारा मेरा चल अचल सम्पति को हड़प कर मुझ पर मेंटेनेन्स (भरण पोषण) का मुकदमा कोडरमा न्यायालय में काण्ड संख्या–70/2009, दिनांक–15/12/2009 को दर्ज।

मैं इस ओवदन के साथ कोडरमा न्यायालय के काण्ड संख्या–70/2009 कि पर्टिशन की छायाप्रति संलग्न, Annex-3

4. मुझे कोडरमा न्यायालय के केस के सम्बन्ध में मालुम होते ही मैंने न्यायपालिका का सम्मान करते हुए मैंने दिनांक–05/01/2010 को कोडरमा न्यायालय मे आत्म सर्मपण किया था।

मैं इस आवेदन के साथ मैंने जो कोडरमा न्यायालय में आत्म सर्मपण हुआ था Annex-4

5. मैंने कोडरमा न्यायालय के न्यायधिश श्री M.C. Narayan के समक्ष मैं अपने वकिलों के सामने व्यान दिया था कि हम कुरपनियाँ में एक किराना दुकान चला रहे थे, हम सुख–शांति जीवन व्यतित कर रहे थे, मगर मेरी शादी आसमा आसमीन के साथ मुस्लिम रिति रिवाज के अनुसार जिसमें दैनमोहर Rs. 20,151/- रू0 तय होकर दिनांक–23/04/1998 ई0 को हुई, तथा मुझसे ईस्लामुल हक ने अपनी बेटी आसमा आसमीन के सहयोग से दुसरी बेटी के शादी समय Rs. 1,50,000/- रू0 एवं ईस्लामुल हक का पैर टुटने पर मुझसे Rs. 1,50,000/- रू0 प्राप्त। आज तक मो0 इस्लामुल हक ने आसमा आसमीन के सहयोग से Rs. 3,00,000/-कर्ज लिया था, उससे वापस नहीं मिलने पर रूपया का अभाव से किराना दुकान आहिस्ता आहिस्ता बन्द हो गया, इसके बाद मेरा सन् 1988 ई0 का किमती हजारीबाग की जमीन हड़पने के लिए आक्रमण एवं जर्दकोप द्वारा मुस्लिम लॉ के न्यायधिश के दिनांक–17/05/2008 आदेश का अवहेलना करते हुए, लॉ के विरूद्ध हजारीबाग के किमती जमीन दिनांक–22/05/2008 को जबरन रजिष्ट्री मो0 ईस्लामुल हक ने आधा जमीन आसमा आसमीन एवं आधा जमीन आसमा आसमीन के बच्चों के नाम लिखवाया गया। कोडरमा न्यायालय के न्यायधिश श्री एम0सी0 नारायण के समक्ष मेरे वकिल का जीरा एवं गवाहों के ब्यान सुनने के बाद श्री एम0सी0

Cont..P/3

नारायण ने दिनांक–19/08/2010 को आदेश पारित।

मैं इस आवेदन के साथ आसमा आसमीन की शादी के समय दैनमोहर Rs. 20,151/- रू0 तय, एवं मेरा किराना दुकान बन्द होने कि जानकारी मेरे पिता को प्राप्त होते ही अचानक मेरे पिता (मो0 फरीद) दिनांक–07/08/2006 को देहान्त हो गया उसका प्रमाण तथा मुस्लिम लॉ के न्यायधिश दिनांक–17/05/2008 का आदेश का अवहेलना करते हुए दिनांक–22/05/2008 को जबरन हजारीबाग के किमती जमीन चल अचल सम्पति को हड़प लिया। और मेन्टेनेन्स काण्ड संख्या–70/09 में कोडरमा न्यायालय के न्यायधिश श्री एम0सी0 नारायण द्वारा दिनांक–19/08/2010 को आदेश पारित, उस सभी प्रमाण की छायाप्रति संलग्न, Annex-5

6. हम दोनों भाईयों में सुलह द्वारा सन् 1994 ई0 में भाई मो0 समीम अखतर का नौकरी मेरा पिताजी अपने समय काल. में दिये थे।

मैं इस आवेदन के साथ हम दोनों भाईयों में मुखिया द्वारा दिनांक–25/09/2006 का सुलह नामा की छायाप्रति जो Annex-6

श्रीमान् न्यायमुर्ति से आग्रह है कि श्रीमान् आप अपने विशेष अधिकार द्वारा कृपा मेरे आवेदन एवं सभी दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न कर श्रीमान् चीफ जस्टीस श्री संजय कुमार मिश्रा के झारखण्ड कोर्ट के चेम्बर/ऑफिस में हस्तांतरण करने का कष्ट की जाए क्योंकि कोडरमा न्यायालय में साँठ गाँठ एवं पक्षपात कि प्रक्रिया चरम सीमा पर चल रहा है, श्रीमान् चीफ जस्टीस आप अपने निगरानी में N.A.I, ED, CBI के ईमानदार न्यायमुर्ति द्वारा जाँच शीध्र कराने की कृपा करें।

न्याय एवं न्योचित होगा कि श्रीमान् से प्रार्थना होगा कि लोकतंत्र, संविधान एवं न्यायपालिका की मर्यादा का हनन रोकने के लिए उचित एवं आवश्यक कदम उठाये जाने की कृपा करें।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरे आवेदन एवं दस्तावेजों की छायप्रति पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पुनः नीचली अदालत के सारे आदेशों पर संज्ञान लेते हुए शीध्र मेरे विरूद्ध सारे आदेशों को समाप्त का आदेश पारित करने की कृपा करें ताकि मुझे सुख शांति जीवन व्यतित करने एवं मानसीक परेशानी से मुक्ति का आदेश पारित की जाए। मैं श्रीमान् के इस इंसाफ एवं दयामय कार्य के लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगा।

धन्यवाद।

अनुलग्नक –

1. श्रीमान् के अवलोकनार्थ मुझे श्रीमान् चीफ जस्टीस के निर्देश एवं आदेश को सरल हिन्दी भाषा में अनुवाद कर शीध्र समय के अन्दर धारा U/S-6 (3) के अन्तर्गत शीध्र जानकारी के लिए मैं 10 रूपये का पोस्टल आर्डर संख्या–60F- 40131 दिनांक–07/06/2023 का प्रेषित।

2. जो धनबाद द्वारा मो0 शकिल अनवर के विरूद्ध N.B.W & Arrested निर्गत होने के बाद भी अधिवक्ता ने Cr. M.P. 2444/13 में आदेश एवं अन्य कि छायाप्रति।

आपका आज्ञाकारी

मो0 जमील अखतर

मो0 जमील अखतर
मो0 नं0–9135563599
ग्राम+पो0–महुदा
जिला–धनबाद (झारखण्ड)
पिन–828305

प्रतिलिपि :– श्रीमान् केन्द्रीय कानुन मंत्री महोदय, भारत सरकार
श्री अर्जुन राम मेघवाल, नई दिल्ली।